तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 281/2022 बअनवान लिखमाराम बनाम परमा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 19.12.2024

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
2. **रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2020 अनवान परमा बनाम मंगली इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या एक खातेदार नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है, जिससे वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित हो। विचारण न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज का हवाला दिये बिना ही संपूर्ण आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। विवादित भूमि खसरा नं. 523, 514, 557,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 281/2022 बअनवान लिखमाराम बनाम परमा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

559, 571 में अपीलांट ने सहखातेदार मगली पत्नी मंगलाराम से दिनांक 11.02.2020 को 17.04.) बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा क्रय की है, जिसका नामांतरकरण अपीलाधीन आदेश से रुक गया है। प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को पक्षकार भी बनाया है, लेकिन अपीलार्थी का राजस्व रेकर्ड में अपीलाधीन आदेश के कारण नामांतरकरण दर्ज नहीं हो रहा है। इस कारण अपीलार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादीनी रामचन्द्र की पुत्री है अथवा नहीं एवं भूमि पैतृक है अथवा नहीं यह मूल वाद में साक्ष्य से तय होने का विंदु है। लेकिन प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है। इस कारण अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को निरस्त किया जावे

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11.02.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में सें 21 बीघा 05 बिस्वा 05 बिस्वांशी भूमि सहखातेदार मंगली पत्नी मंगलाराम से खरीद की गई है। अदालत हाजा द्वारा दिनांक 21.10.2022 के अस्थाई व्यादेश के जरिये अपीलांट को पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11. 02.2020 की पालना में नामांतरकरण की छूट प्रदान की जाकर वांछित अनुतोष त्वरित रुप से प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में बेचाननामा दिनांक 11.02.2020 की पालना में नामांतकरण की कार्यवाही की छूट को जारी रखते हुए अपीलांट को अपीलाधीन से आदेश से पाबंद किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 281/2022 बअनवान लिखमाराम बनाम परमा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 11.02.2020 की पालना में नामांतकरण की कार्यवाही की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही बाद नामांतरकरण कार्यवाही अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पाबंद रहेगा। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	